पर्यावरण बचाने के लिये सोलर एनर्जी है प्रभावी विकल्प- मुख्यमंत्री

✷ प्रदेश के पहले शासकीय रुफटॉप सोलर ऊर्जा संयत्र का शुभारंभ

भोपाल11 जुलाई (ए) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सौर ऊर्जा भविष्य की नहीं, अब वर्तमान की ऊर्जा बन गई है। मध्यप्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में पहचान बनाई है। चौहान आज यहां मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के भवन पर स्थापित प्रदेश के पहले 200 किलोवाट क्षमता के शासकीय रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयत्र का शुभारंभ कर रहे थे। एक करोड़ बीस लाख रुपये लागत से स्थापित इस संयंत्र में बिजली बनना शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिये सोलर एनर्जी एकमात्र प्रभावी विकल्प है। शासकीय भवनों में सोलर पैनल से सौर ऊर्जा उत्पादन करने का काम शुरु हो गया है। सोलर ऊर्जा संयत्र की लागत तीन चार साल में ही वसूल हो जाती है। उन्होंने कहा कि रीवा में दुनिया का पहला ऐसा सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया हैए जिसमें ऊर्जा उत्पादन की लागत दो रूपये 97 पैसे प्रति यूनिट है।

चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिये हर नागरिक एक पौधा जरूर लगाये और उसकी रक्षा करे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने और जीवन बचाने की यह शुरूआत है। प्रदेश में 15 जुलाई से पौधा रोपण अभियान शुरु हो रहा है। उन्होंने स्कूलों में फर्नीचर देने और अधोसरंचना बढ़ाने के काम करने के लिये माध्यमिक शिक्षा मंडल की सराहना की। उन्होने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल तीन स्कूल और संचालित करेगा। उन्होंने पांच सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले स्कूलों को पुरस्कृत करने की पहल करने के लिये मंडल की प्रशंसा की। चौहान ने इस अवसर पर माध्यममिक शिक्षा मंडल के उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों.कर्मचारियों को सम्मानित किया।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष आरण्एसण् मोहंती ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज मध्यप्रदेश सोलर ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर आ गया है। उन्होने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बच्चों को विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं उपलबध करवाई हैं और अब शासन की नीति का लाभ उठाते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन में भी पहल की है ।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाहए नवकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री नारायण सिंह कुशवाहए तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशीए माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष भागीरथ कुमरावतए सदस्य भावसारए ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष विजेन्द्र सिंह सिसोदियाए प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तवए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड मुखर्जी और आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयकियावत उपस्थित थे।

अब सुझाव नहीं, हिसाब का समय

0 कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना

भोपाल 11 जुलाई (ए) कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से चौपाल लगाकर सुझाव मांग रही है। इस पर उन्होंने लिखा कि यह समय सुझाव मांगने का नहींए बल्कि हिसाब देने का है। आखिर सरकार ने पिछले 13 वर्षों में किसानों के लिए क्या कियाघ् क्यों खेती घाटे का धंधा बन गईघ्

कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि 13 वर्ष के मुख्यमंत्री अब चुनावी साल में चौपाल लगाकर किसानों से सुझाव मांग रहे हैं और उन सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। 15 वर्ष की सरकार में खेती को घाटे का धंधा बना दिया और अब आखिरी 4 माह में सुझाव मांग रहे हैं। अब समय सुझाव का नहीं हिसाब का है।

मॉनसून की पहली.दूसरी झड़ी में ही भोपाल के कई इलाकों में रविवार और सोमवार की पूरी रात बत्ती गुल रही। कमलनाथ ने प्रदेश में बिजली सप्लाई के इन हालात पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 24 घंटे बिजली का नारा देने वाली सरकारए 5.6 घंटे भी बिजली ठीक से नहीं दे पा रही है। किसान.व्यापारी.आम आदमी सब परेशान हैं। कमलनाथ ने पूछा है कि इतनी बिजली कहां से देगी सरकारघ् उन्होंने आगे लिखा है कि जनता इनकी असलियत जानती हैए गुमराह होने वाली नहीं है।

भाजपा के खिलाफ वोट न बंटेए इसलिए बसपा.सपा से बातचीत

कमलनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा के खिलाफ पडने़ वाला वोट न बंटेए इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ;बसपाद्ध और समाजवादी पार्टी ;सपाद्ध दोनों से कांग्रेस की बातचीत चल रही है। कमलनाथ ने दावा किया है कि बसपा और सपा के साथ गठबंधन के लिए उनकी बातचीत अभी भी जारी है। हाल ही में बसपा की तरफसे ये कहा गया था कि वह मध्यप्रदेश में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। सभी 230 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की ताकत को नकारते हुए कमलनाथ ने कहा उनकी पार्टी भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला शिवराज सिंह की छवि से नहीं है। भाजपा उम्मीदवार से भी नहीं हैए बल्कि उनके संगठन से है।

आरटीई में 2 लाख 50 हजार बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश

✷ स्कूल शिक्षा मंत्री शाह ने निकाली लॉटरी

भोपाल 11 जुलाई (ए) शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉण् कुँवर विजय शाह ने एनआईसी के सर्वर का बटन दबाकर ऑनलाईन लॉटरी का शुभारंभ किया। लॉटरी में दो लाख 50 हजार बच्चों को स्कूल आवंटित किये गये। इनमें से 20 लाख 5 हजार 843 बच्चों को उनके द्वारा चाहे गए प्रथम वरीयता ;फर्स्ट च्वाइसद्ध के स्कूलों में प्रवेश मिला। इसके साथ ही 24 हजार 600 को द्वितीयए 12 हजार 734 को तृतीयए 3 हजार 579 को चौथीए 1820 को पाँचवी और 865 को छठवींए 430 को सातवीए 292 को ऑठवीए 166 को नौंवी तथा 91 बच्चों को उनके द्वारा चाही गई दसवीं वरीयता के स्कूलों में सीट्स आवंटित हुई हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष प्रदेश के 26 हजार से अधिक प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये लगभग 2 लाख 94 हजार बच्चों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया थाए जो कि विगत वर्ष की तुलना में लगभग 47 हजार से अधिक हैं। गत वर्ष 2 लाख 47 हजार बच्चों ने आवेदन किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की इस प्रक्रिया में नर्सरी के लिये एक लाख 5 हजार 95ए केजी.1 के लिये 80 हजार 895ए केजी.2 के लिये 12 हजार 23 और कक्षा एक के लिये 52 हजार 415 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए हैं। इनमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ;बीपीएलद्ध परिवारो के एक लाख 83 हजार 8ए अनुसूचित जाति के 48 हजार 436ए अनुसूचित जनजाति के 15 हजार 440 तथा 175 दिव्यांगए 67 अनाथए विमुक्त जाति के 298ए एचआईवी प्रभावित 68 एवं वनग्राम के पट्टाधारी परिवारों के 253 बच्चे शामिल हैं।

उल्लेखनीय है किए मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के साथ ही वर्ष 2011.12 से 2017.18 तक लगभग 10 लाख बच्चे इस प्रावधान के तहत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं में प्रवेश ले चुके हैं। वर्ष 2016.17 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है। आरटीई के प्रावधान के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् इन बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार की जाती हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाये - खोंगल

भोपाल11 जुलाई (ए) मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थ पुलिस फोर्स एवं सभी विभागों के कर्मचारियों का जोखिम भत्ता देने की मांग राज्य शासन से की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र खोंगल के नेतृत्व में पदाधिकरियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह को सौपें ज्ञापन में अवगत कराया कि राज्य के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित बालाघाटए डिंडौरी तथा मंडला तीनों जिलों के अत्याधिक संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मील 24 घन्टे अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलियों के आंतक को रोकने में लगे रहते है। जिसमें अनेक बार पुलिस कर्मी और अधिकारी वीरगति को भी प्राप्त हो जाते हैं। इन पुलिसकर्मियों पर अनेक मर्तवा प्राण घातक हमले भी हुए हैं। जोखिम उठाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने के बावजूद वे जोखिम भत्ते से वंचित हैं। प्रतिनिधि मंडल में अनवर खानए राजेन्द्र चौबेए अवधेश अरुणए सुरेन्द्र निगमए शशिकांत काले एवं सुनील ठाकरे सम्मिलित थे।

खोंगल ने मुख्यमंत्री से इस संवेदनशील एवं जायज मांग को स्वीकार करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस कर्मी तथा वनए स्वास्थ्यए राजस्वए आदिवासी विकास के सभी वर्गों के कर्मचारियों को जोखिम भत्ते के रुप में 50 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देने का अनुरोध किया।

जनसुनवाई में आये 99 आवेदन

भोपाल 11 जुलाई (ए)। कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे ने आज सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 99 आवेदक उपस्थित हुए और कलेक्टर डॉ. खाडे से प्रत्यक्ष भेंटकर अपनी शिकायत एवं आवश्यकता से अवगत कराया। यह आवेदन विद्युत देयक, अतिक्रमण, भूमि बटान, भरण पोषण, आर्थिक सहायता, रोजगार आदि से संबंधित थे। कलेक्टर ने इन सभी आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं।

वन महोत्सव पर किया वृक्षारोपण

बैपारीगुड़ा 11 जुलाई (सन्यूस) 69 वां वन महोत्सव के अवसर पर गत दिवस वन विभाग व स्थानीय बीएसएफ जवानों के व्दारा वृक्षारोपण किया गया।

इस अवसर पर बैपारीगुड़ा मलकानगिरी सड़क के दोनों ओर एवं स्थानीय मॉडल अंग्रेजी विधालय परिसर में करीब तीन सौ से भी अधिक विभिन्न किस्म के पौधों का रोपण किया गया। बीएसएफ की ओर से बताया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण किया जाना जरुरी है, मगर वृक्षारोपण के बाद पौधों का समुचित देखरेख किये जाने पर ही इस अभियान सफल हो सकेगा। सि दौरान प्रभारी कमांडेंट भुपेंद्र प्रताप सेकंड कमांडेंट राजेश कुमार, वनपाल अंजन भला, उप निरीक्षक सुमेर सिंह, वनपाल प्रशांत कुमार सामंतराय, फारेस्टर सच्चिदानंद परिड़ा आदि उपस्थित थे।

अज्ञात बाईक की टक्कर से सायकल सवार गंभीर

डाबुगां 11 जुलाई (सन्यूस) डाबुगां पुलिस थाना अंतर्गत मानिगांव के पास गत 7 जुलाई की रात्रि को अज्ञात बाईक की टक्कर से एक सायकल सवार गंभीर रुप से घायल हो गया है।

घटना के अनुसार मानिगांव निवासी भुजबल माझी55 वर्ष नामक व्यक्ति ने गत 7 जुलाई की रात्रि करीब आठ बजे सायकल पर सवार होकर कहीं से वापस गांव लौट रहा था कि गांव के पास तेज रफ्तार एक मोटर सायकल सवार ने उसे जोरदार टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। इस घटना में भुजबल माझी सड़क पर गिर कर गंभीर रुप से घायल हो गया। उसके चेहरे पैर आदि पर काफी चोटें आई है। दुर्घटना के बाद उसके परिजनों ने घायल भुजबल माझी को उपचारार्थ डाबुगां के चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु उसे नवरंगपुर के जिला मुख्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है।

मासूम बालिकाओं से दुराचार के मामलों में फांसी की सजा सुनिश्चित करवाई जाये

कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में चौहान ने दिये निर्देश

भोपाल/इन्दौर 11 जुलाई (ए) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि मासूम बालिकाओं से दुराचार के मामलों में दुराचारियों को फांसी की सजा सुनिश्चित करवाई जाये। इसके लिये प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग की जाये। मुख्यमंत्री चौहान ने आज मंत्रालय भोपाल में हुई कानून.व्यवस्था संबंधी उच्च.स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव बीण्पी् सिंह और पुलिस महानिदेशक आरण्केण् शुक्ला भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि दुराचार के दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई की है। सागर के प्रकरण में 42 दिन में निचली अदालत से फांसी की सजा दिलवायी गई। इस तरह के प्रकरणों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगातार फालोअप कर सजा सुनिश्चित करवायी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रकरणों के संबंध में हर पन्द्रह दिन में वे स्वयं समीक्षा करेंगे।

रूरू छोटे और साधारण अपराधों से जुड़े मामले वापस होंगे रूरू

मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि प्रदेश में छोटे और साधारण अपराधों से जुड़े गरीब और कमजोर वर्गों के मामले वापस लेने के प्रक्रिया शुरु करें। इस संबंध में सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये जायें। उन्होंने कहा कि आगामी 31 जुलाई तक इस तरह के मामलों की सूची सभी जिलों में तैयार की जाये। शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये कार्यक्रम 14 अगस्त को

चौहान ने कहा कि आगामी 14 अगस्त को प्रदेश में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये शहीद होने वाले सेनाए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शूरवीरों के परिवारों से मिलकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाये। कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाये। इससे शहीदों के प्रति समाज में सम्मान व्यक्त होगा और आमजनों में देश भक्ति का भाव पैदा होगा। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्रीए मंत्रीए विधायकए सांसद और वरिष्ठ अधिकारी जायेंगे। इस कार्यक्रम का समन्वय गृह विभाग और सैनिक कल्याण विभाग मिलकर करेंगे।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में दुराचार के 9 प्रकरणों में निचली अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनायी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवालए प्रमुख सचिव गृह मलय श्रीवास्तवए अपर पुलिस महानिदेशक राजीव टंडन और आदर्श कटियार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जहरीली गैस से पिता व दो बेटियों की मौत

भोपाल 11 जुलाई (ए) कुएं में गिरे अपने पिता को निकालने के लिए दो बेटियां जब कुएं में उतरी तो जहरीली गैस के संपर्क में आने से उनकी भी कुएं के अंदर ही मौत हो गई। घटना प्रदेश के बालाघाट जिले के हट्टा डूंडासिवनी गांव में हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह करीब नौ बजे डूंडासिवनी निवासी गणेश राऊत 50 अपनी बेटियों बबीता 22 व सविता 19 के साथ धान की रोपाई के लिए खेत पर गए थे। दोपहर 12 बजे खाना खाने के बाद गणेश अपने साथियों के साथ कुएं पर पानी लेने गए। रस्सी न होने पर तार के टुकड़े जोड़कर उससे पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसका बर्तन कुएं में गिर गया।

डीआरडीओ

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर (आर एंड डी) एस्टेटस, हैदराबाद, डी आर डी ओ उन एजेंसियों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करते हैं जो निम्नलिखित कार्यों के लिए योग्यता मापदंड पूरा करते हों:-

जगदलपुर हवाईपट्टी में अरबोरीकल्चर सेवाओं के जरिए रखरखाव का प्रावधान

अनुमानित लागत	:	25.50 लाख
अमानत राशि	:	51,000/-
पूर्ण करने की अवधि	:	12 (बारह) महीने
टेंडर आइ डी नं.	:	2018_DRDO_356376_1

बोली का संपूर्ण विवरण बी ओ क्यू और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित CPP Portal (www.eprocure.gov.in) में उपलब्ध है। क्रिटिकल डेट निविदा में ही दिए गए हैं।

(सीएच श्रीनिवास)
टेक्नीकल ऑफिसर 'सी'
वास्ते सी सी ई (आर एंड डी) एस्टेट्स

davp 10301/11/0087/1819

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष क्र. 07868-241559 (कार्या.) फैक्स नं.-241490
ई-मेल आई.डी. sp-kanker.cg@nic.in

//निविदा आमंत्रण सूचना//

निविदा/क्रमांक/M-5191/पुअ/कांकेर/एसी/ 2017-18 कांकेर, दिनांक 25/06/2018

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए मुहरबंद लिफाफा पद्धति से पुलिस कार्यालय कांकेर में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु नीचे दर्शाये गये प्रभावी अनुसूची पर प्रपत्र-अ में एकल पद्धति के पंजीकृत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दो लिफाफा पद्धति में (निविदा दर एवं अमानत राशि) प्रतिशत के आधार पर पंजीकृत पावती युक्त डाक, स्पीड पोस्ट, हाथो-हाथ आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि - 16/07/2018 के 5.00 बजे तक।
2. निविदा फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथि - 17/07/2018 के 4.00 बजे तक।
3. निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि - 18/07/2018 के 12.00 बजे तक।

ग्रुप क्र.	कार्य का नाम एवं कार्य स्थल	कार्य की अनुमानित लागत	धरोह राशि
01	पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन भानुप्रतापपुर का निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी फिटिंग सहित।	20.00 लाख	15000/-

नोटः- 1. चुकता आयकर प्रमाण पत्र, 2. वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र, 3. रेवेन्यू साल्वेन्सी, 4. अधिनस्थ कार्यों की सूची, 5. श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, 6. चुकता वैद्य वाणिज्य कर, 7. कार्य के अनुरूप शेड्यूल बैंक साल्वेंसी जो 12 माह से अधिक न हो, 8. तकनीकी कर्मचारी का नियोजन प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रमाण पत्र, 9. आवेदन पत्र के साथ आयकर पेन कार्ड, 10. धरोहर राशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर. मान्य होगा, 11. निर्माण कार्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में निर्माण कार्यों में परिवर्तन कर सकता है जिसका भुगतान लोनिवि विभाग के सीएसआर दर के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर होगा, 12. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त स्वीकार नहीं किया जावेगा, 13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगा एवं अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा, 14. निविदा फार्म की राशि ''0055-पुलिस मिसलेनियस 800-अन्य प्राप्तियां'' में जमा कर चालान की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा करें। 15. कार्य की अवधि 02 माह एवं फार्म का दर 750/-, 16. निविदा प्रथम बार जारी किया जा रहा है एवं एकल पद्धति के ठेकेदार अधिकृत होंगे।

पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकेर

जी-53446